KALAWATI AYURVEDIC MEDICAL COLLEGE & RESEARCH CENTER & HOSPITAL GORHA, KASGANJ (U.P) 207123 IPD PATIENT 1 MARCH 2020 TO 31 MARCH 2020			
		DEPARTMENT	MAR
		KAYACHIKITSA	47
PANCHKARMA	12		
SHALYA	17		
SHALAKYA	10		
PRASUTI & STRI ROGA	15		
KAUMARBHRITTYA	11		
MONTH TOTAL	112		

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, कासगंज।

पत्रांकः २८ / एस०टी०-डी०एम०-2020

दिनांक:- 26

आदेश

विश्व स्वाख्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र द्वारा कोरोना वायरस (COVID को Pandemic घोषित करने तथा इस संदर्भ में उत्पन्न स्थिति के परिप्रेक्ष्य डिजीज एक्ट. 1897 एवं उत्तर प्रदेश महामारी कोविड—19 विनियमावली,2020 ए संख्या— 195 / /एक—11—200—रा0—11 दिनांक: 24.03.2020 के द्वारा भारत आपदा प्रबन्ध अधिनियम 2005 सपठित उ0प्र0 आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 उपधारा(जी)के अन्तर्गत कोविड—19 के कारण फैल रही महामारी को आपदा गया है।

अतः उक्तानुसार कोरोना कोविड–19 महामारी से बचाव एवं रोकथाम ह राजकीय चिकित्सालय के अतिरिक्त अन्य निजी चिकित्सालयों/मेडिकल सम्मावित आवश्यकता के दृष्टिगत कोविड–19 के संदिग्ध व्यक्तियों इंस्टीट्यूशनल क्वारेन्टाइन किए जाने हेतु कलावती आयुर्वेदिक मेडिकल कालेप सैन्टर एण्ड हॉस्पीटल, गोरहा जनपद कासगंज को तत्काल प्रभाव से अधिग्रह कोविड–19 एल–1 चिकित्सालय चिन्हित किया जाता है।

उक्त कलावती आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड रिसर्च सैन्टर एण्ड हॉन जनपद कासगंज का उपयोग आवश्यकता होने पर संदिग्ध मरीजों के उपचार ए क्वारेन्टाइन हेतु किया जाएगा। मेडिकल कालेज के निदेशक क्वारेन्टाइन वि मरीजों हेतु मेडिकल कालेज भवन में मूल—मूत आवश्यकताऐं उपलब्ध कराएँ मिकित्साधिकारी कासगंज प्रशिक्षित राजकीय चिकित्सकों की इंयूटी कलाव मेडिकल कालेज एण्ड रिसर्च सैन्टर एण्ड हॉस्पीटल, गोरहा कासगंज पर आ लगाना सुनिश्चित करेंगे तथा भर्ती मरीजो के उपचार एवं देखभाल का चिकित्साधिकारी कासगंज का होगा।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(ए०के०श्रीवास अपर जिला मरि कासगंज।

प्रतिलिपिः-

- 1. जिला मजिस्ट्रेट महोदय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 2. पुलिस अधीक्षक, कासगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 3. मुख्य चिकित्साधिकारी कासगंज को अनुपालनार्थ।
- निदेशक / प्रधानाचार्य, कलावती आयुर्वेद मेडिकल कालेज एण्ड रिसर्च सैन्टर एण्य गोरहा, जनपद – कासगंज को अनुपलानार्थ।
- 5. समस्त सम्बन्धित को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अपर जिला मरि कासगंज।

मार्च, 2020 -19) संक्रमण में एपिडेमिक वं शासनादेश । सरकार के 5 की धारा-2 घोषित किया हेतु जनपद में कालेज की के उपचार/ ज एण्ड रिसर्च हीत करते हुए स्पीटल, गोरहा रवं बचाव तथा हए जाने वाले ति आयुर्वेदिक ती आयुर्वेदिक वश्यकतानुसार दायित्व मुख्य तव) नस्ट्रेट, ड हॉस्पीटल, जस्ट्रेट,

कार्यालय : मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कासग

पत्रांक : मु0चि0अ0 / कोविड-19 / 2020-21 / 9 4 0

दिनाक :

प्रधानाचार्य

कलावती आयुर्वेदिक मेडीकल कालेज एण्ड रिसर्च सेण्टर एण्ड हॉस्पीटल गोरहा, जनपद कासगंज।

विषय : कलावती आयुर्वेदिक मेडीकल कालेज एण्ड हॉस्पीटल को कोविड-19 के एक्टिव कोरेन्टाइन समाप्त करने के सम्बन्ध में।

अवगत कराना है कि जिलाधिकारी/अच्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति कासगंज 03.02.2021 को आयोजित जिला टास्क फोर्स की बैठक में दिये गये निर्देशों के क्रम आयुर्वेदिक मेडीकल कालेज एण्ड रिसर्च सेण्टर एण्ड हॉस्पीटल को एक्टिव कोरेन्टाइन सं जाता है। भविष्य में यदि कोविड-19 के द्रष्टिगत आवश्यकतानुसार पांच दिवस पूर्व आपके उक्त मेडीकल कालेज को अधिकृत किया जा सकता है।

मुख्य चिकित्सा कासग

पत्रांक : मु०चि०अ० / कोविड-19 / 2020-21

तददिः

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत् प्रेषित -

- 1. मिशन निदेशक,एन0एच0एम0, लखनऊ।
- 2. जिला अधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वारथ्य समिति, कासगंज।
- 3. अपर निदेशक, विकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, अलीगढ मण्डल अलीगढ ।
- 4. मुख्य विकास अधिकारी, जनपद कासगंज।
- जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई जनपद कासगंज।

मुख्य चिकित्सा अ कासग

